भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2205
दिनांक 31 जुलाई, 2026 को उत्तर के लिए

पीएमएमवीवाई के अंतर्गत वित्तीय लाभ

2205. **श्री राजू बिष्ट:**

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई) के अंतर्गत नामांकित/सक्रिय रूप से वित्तीय लाभ प्राप्त कर रही महिलाओं की वर्ष-वार और जिला-वार कुल संख्या कितनी है; और
(ख) उक्त राज्य में पीएमएमवीवाई के अंतर्गत महिलाओं को प्रदान किए गए प्रोत्साहनों/स्वास्थ्य सेवाओं का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री
(श्रीमती सावित्री ठाकुर)

(क) और (ख) : महिला एवं बाल विकास मंत्रालय दिनांक 01.01.2017 से देश के 35 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में (तेलंगाना को छोड़कर, क्योंकि वह पीएमएमवीवाई पोर्टल पर ऑनबोर्डिंग की प्रक्रिया में है) प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई) कार्यान्वित कर रहा है। पीएमएमवीवाई एक केंद्र प्रायोजित मातृत्व लाभ योजना है, जिसके अंतर्गत पहले बच्चे के लिए सीधे लाभार्थी के बैंक/डाकघर खाते में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से ₹5,000/- की नकद प्रोत्साहन राशि दी जाती है। पात्र लाभार्थियों को संस्थागत प्रसव के बाद जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत मातृत्व लाभ हेतु स्वीकृत मानदंडों के अनुसार शेष नकद प्रोत्साहन राशि भी प्राप्त होती है, जिससे औसतन एक महिला को ₹6,000/- की सहायता मिलती है। पीएमएमवीवाई के अंतर्गत दूसरे बच्चे के लिए भी पात्र लाभार्थियों को ₹6,000/- की नकद प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है, बशर्ते दूसरा बच्चा लड़की हो।

पीएमएमवीवाई का उद्देश्य मजदूरी हानि की आंशिक भरपाई के लिए नकद प्रोत्साहन प्रदान करना है ताकि महिला बच्चे के जन्म से पहले और बाद में पर्याप्त विश्राम कर सके; तथा गर्भवती महिलाओं एवं स्तनपान कराने वाली माताओं (पीडब्ल्यू और एलएम) के बीच स्वास्थ्य का लाभ लेने संबंधी व्यवहार में सुधार हो सके है। इस योजना में दूसरे बच्चे के लिए, यदि वह बालिका हो, अतिरिक्त नकद प्रोत्साहन प्रदान करके बालिका के प्रति सकारात्मक व्यवहार परिवर्तन को भी बढ़ावा देने का प्रयास किया जाता है।

योजना की शुरुआत से दिनांक 01.01.2017 से लेकर 31.03.2026 तक प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई) के अंतर्गत पश्चिम बंगाल राज्य में नामांकित तथा भुगतान प्राप्त करने वाले लाभार्थियों की जिला-वार संख्या निम्नानुसार है:

क्रम सं	**जिला**	**नामांकित लाभार्थी**	**भुगतान प्राप्त करने वाले लाभार्थियों**
1	उत्तर 24 परगना	1,66,465	1,06,497
2	दक्षिण 24 परगना	2,09,719	1,30,325
3	अलीपुरद्वार	49,240	38,369
4	बांकुड़ा	1,23,490	84,907
5	बीरभूम	1,13,048	73,029
6	कूचबिहार	97,371	59,285
7	दार्जिलिंग	14,901	8,877
8	दक्षिण दिनाजपुर	61,951	44,647
9	उत्तर दिनाजपुर	74,687	47,400
10	हुगली	1,40,034	92,210
11	हावड़ा	1,06,450	68,154
12	जलपाईगुड़ी	63,873	44,407
13	झारग्राम	29,463	19,552
14	कलिम्पोंग	2,750	2,034
15	कोलकाता	3,956	2,332
16	मालदा	1,35,773	87,746
17	मेदिनीपुर पूर्व	2,05,630	1,42,155
18	मेदिनीपुर पश्चिम	1,75,551	1,33,188
19	मुर्शिदाबाद	3,08,342	2,01,933
20	नदिया	1,45,087	95,215
21	पश्चिम बर्धमान	29,307	17,761
22	पूर्ब बर्धमान	1,50,632	1,05,542
23	पुरुलिया	66,417	32,440
